कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर

क्रमांक प032(बी)(1)आब/एल/2009/2689 दिनांकः 03. 02. 2009

देशी मदिरा रिटेल दुकानों के अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन आमंत्रण की सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2009–10 हेतु राज्य में देशी मदिरा दुकानो के अनुज्ञापत्र हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

2. ग्राम पंचायते एवं नगर निगम /परिषद/पालिका के वार्ड / क्षैत्र जिनमें जिस संख्या तक दुकाने लगाई जा सकेगी उनका तथा इन दुकानों की वार्षिक राशि, बेसिक लाईसेंस फीस, आवेदन शुल्क आदि का आबकारी जिलेवार विवरण सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी द्वारा आवेदन प्रपत्र के साथ उपलब्ध करवाया जायेगा । जिन ग्राम पंचायतों व नगर निगम/परिषद/पालिका वार्डो का उस सूचि में उल्लेख नहीं है, उनमें कोई दुकान प्रस्तावित नही की गई है । राज्य की समस्त दुकानो बाबत विवरण विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध रहेगा ।

3. आवेदन पत्र स्टेशनरी चार्ज रू. 30/– (जो कि आवेदन शुल्क के अतिरिक्त हैं) जमा कराकर सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता हैं। कोई व्यक्ति चाहे तो विभाग की वेबवाईट **http://www.rajexcise.org** से आवेदन पत्र की प्रति डाउनलोड़ कर उसमें आवेदन कर सकेगा । सभी आवेदन के साथ निर्धारित आवेदन शुल्क की राशि का ड्राफ्ट भी संलग्न करना होगा अन्यथा उस पर विचार नही किया जायेगा।

4. किसी भी व्यक्ति को तीन से अधिक दुकान/दुकान समूह आवंटित नही किये जायेगें। यदि कोई व्यक्ति तीन से अधिक दुकानो /दुकान समूहो हेतु आवेदन करता हैं तथा तीन से अधिक दुकान/दकान समूह हेतु उसका चयन हो जाता हैं तो उसे वह दुकाने/ दुकान समूह आवंटित किये जायेगे जिसके लिये सबसे कम आवेदन प्राप्त हुये हो। दुकान/दुकान समूह हेतु समान संख्या में आवेदन प्राप्त होने पर ऐसे आवेदक को वह दुकाने/ दुकान समूह आवंटित किये जायेगे जिसकी वार्षिक राशि अधिक हो ।

5. इस सूचना के संबध में विस्तृत दिशा निर्देश एवं अनुज्ञापत्र शर्तों की जानकारी आवेदन प्रपत्र में उपलब्ध हैं ।

6. जिस दुकान/दुकानों के लिए आवेदन किया जा रहा है उस दुकान / दुकानों की निर्धारित वार्षिक राशि की 5% राशि का संबंधित जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में एक डिमान्ड ड्राफ्ट बतौर अर्नेस्टमनी संलग्न करना आवश्यक होगा जो आवेदक के पक्ष में स्वीकृति जारी होने पर धरोहर राशि पेटे समायोजित कर लिया जायेगा।
इसके अतिरिक्त आवेदन के साथ आवेदक की पहचान स्वरूप राशनकार्ड/ड्राईविंग लाईसेंस/आयकर विभाग द्वारा जारी पेन कार्ड / निर्वाचन विभाग द्वारा जारी फोटो आइडेन्टिटी इत्यादि में से किसी एक दस्तावेज की फोटो प्रति संलग्न करनी होगी ।

7. आवेदन संबंधित जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में दिनांक 20. 02. 2009 को 3.00 बजे तक जमा कराये जा सकेगें । इसके बाद आवेदन स्वीकार नही किये जायेगें ।

8. किसी दुकान / दुकान समूह हेतु एकाधिक आवेदन प्राप्त होने पर सफल आवेदक का चयन लॉटरी की प्रक्रिया द्वारा किया जावेगा । लॉटरी राज्य सरकार द्वारा गठित समिति के सदस्यो के समक्ष दिनांक 24. 02. 2009 को प्रातः 11.00 बजे जिला मुख्यालय पर निकाली जायेगी जो आवश्यकता होने पर आगामी कार्यदिवस को भी जारी रहेगी ।

9. जिन आवेदनपत्रों के साथ आवेदनशुल्क, निर्धारित अर्नेस्टमनी अथवा पहचान का प्रमाण संलग्न नहीं किया गया है उनको लॉटरी की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जावेगा ।

10. आवेदन आमंत्रण के संबंध में अन्य जानकारी आवेदन प्रपत्र के संलग्न विस्तृत दिशा निर्देशों में अंकित की गई है । अन्य प्रकार की जानकारी हेतु संबंधित जिला आबकारी अधिकारी से सम्पर्क किया जा सकता है ।

(सी. पी. व्यास)
आबकारी आयुक्त,
राजस्थान, उदयपुर